न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाड़िया, RAS

पत्रावली संख्या : 144/12 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2012/00353

अनवान्

1. श्री मांगीलाल पिता गणेश डांगी निवासी गुडली तह. मावली।
2. श्रीमती देउबाई पत्नी गणेश डांगी निवासी गुडली तह. मावली।
3. श्रीमती लीला पुत्री गणेश पत्नी नारायण डांगी निवासी गुडली हाल आसना तह. मावली।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री पुरा पिता परथा डांगी निवासी गुडली तह. मावली।
2. श्री हिरा पिता परथा डांगी निवासी गुडली तह. मावली।
3. पटवारी, पटवार हल्का गुडली तह. मावली।
4. उप पंजीयक महोदय, मावली तह. मावली।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सा. मावली तह. मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री खेमराज डांगी, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री भंवरलाल ओस्तवाल, अधिवक्ता विपक्षी सं. 1, 2

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 20.11.2020

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण के खिलाफ माननीय न्यायालय में एक वाद 88, 188 आर.टी.एक्ट बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है जो कि ठोस आधारों पर आधारित होकर प्रार्थी को इसमें सफलता मिलने की पूरी आशा है।
2. यह कि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण का सजरा खानदान निम्न प्रकार से है :–

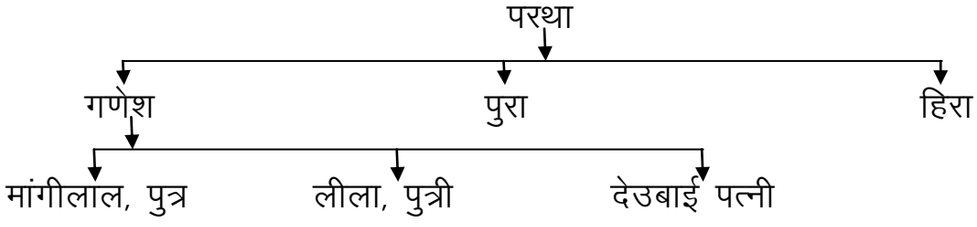

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.12.04 14:34:29 IST
Reason: SelfAttested

3. यह कि मौजा गुडली पटवार हल्का गुडली के परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 2494, 2524, 2525, 2526, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2557, 2599, 2601, 2602 किता 21 रकबा 36 बीघा 4 बिस्वा उक्त आराजीयात का 1/10 हिस्सा रिकार्ड अनुसार पूर्व में परथा पिता जग्गा जी डांगी के नाम दर्ज था जग्गा एवं परथा जी का निधन हो चुका है परथा जी के वारिस उपर बताये सजरे अनुसार है। परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 2308, 2309, 2311, 2314 किता 4 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा उक्त आराजीयात का 2/3 हिस्सा रिकार्ड अनुसार पूर्व में परथा पिता जग्गा जी डांगी के नाम दर्ज था जग्गा एवं परथा जी का निधन हो चुका है परथा जी के वारिस उपर बताये सजरे अनुसार है। परिशिष्ट स में वर्णित आराजी नम्बर 2235, 2236, 2237, 2248, 2250, 2254, 2255, 2270, 2271, 2529, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541 किता 20 रकबा 17 बीघा 7 बिस्वा उक्त आराजीयात का 1/2 हिस्सा रिकार्ड अनुसार पूर्व में परथा पिता जग्गा जी डांगी के नाम दर्ज था जग्गा एवं परथा जी का निधन हो चुका है परथा जी के वारिस उपर बताये सजरे अनुसार हैं। परिशिष्ट द में वर्णित आराजी नम्बर 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 2229, 2231, 2232, 2233 किता 12 रकबा 11 बीघा 7 बिस्वा उक्त आराजीयात का 1/6 हिस्सा रिकार्ड अनुसार पूर्व में परथा पिता जग्गा जी डांगी के नाम दर्ज था जग्गा एवं परथा जी का निधन हो चुका है परथा जी के वारिस उपर बताये सजरे अनुसार हैं। परिशिष्ट य में वर्णित आराजी नम्बर 2234, 2238, 2239, 2243, 2244, 2245, 2246, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2267 किता 13 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा उक्त आराजीयात का 1/6 हिस्सा रिकार्ड अनुसार पूर्व में परथा पिता जग्गा जी डांगी के नाम दर्ज था जग्गा एवं परथा जी का निधन हो चुका है परथा जी के वारिस बताये सजरे अनुसार हैं। परिशिष्ट र में वर्णित आराजी नम्बर 2256, 2257, 2258 किता 3 रकबा 10 बिस्वा उक्त आराजीयात का 1/3 हिस्सा रिकार्ड अनुसार पूर्व में परथा पिता जग्गा जी डांगी के नाम दर्ज था जग्गा एवं परथा जी का निधन हो चुका है परथा जी के वारिस उपर बताये सजरे अनुसार हैं।

4. यह कि उक्त परिशिष्ट अ से र तक में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थीगण की पैतृक होकर पूर्व में परथा पिता जग्गा जी के नाम हिस्सेनुसार दर्ज थी इसमें परथा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.12.04 14:34:29 IST
Reason: SelfAttested

जी की विरासत से प्रार्थी 1 एवं प्रार्थी 2 के पिता जी व प्रार्थी 3 के पति गणेश का भी परथा जी के विरासत से विपक्षीगण पुरा व हिरा जी समान हिस्सा बनता है, तथा परथा जी की मृत्यु के बाद विरासत खुले अन्तकाल में गणेश जी का नाम भी पुरा एवं हिरा के साथ दर्ज होना चाहिए गणेश जी का निधन परथा जी के निधन के बाद हुआ था तथा उक्त कृषि भूमि गणेश जी के हिस्से में आने के बाद प्रार्थीगण को मिलनी थी प्रार्थीगण परथा जी के वैधानिक वारिस है, तथा परथा जी की आराजीयात में प्रार्थीगण का भी पुरा एवं हिरा के समान हिस्सा हैं जो इनको विरासत से मिला है इसमें हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् प्रार्थीगण 1 एवं 2 को जन्म से तथा प्रार्थी सं. 3 को गणेश जी की मृत्यु से अधिकार मिल गये है इसलिए प्रार्थीगण अपने हिस्से की स्वामित्व एवं आधिपत्यधारी हो गये है तथा इसी अनुसार प्रार्थीगण का नाम जमाबन्दी में दर्ज हो जाना चाहिए था।

5. उक्त वर्णित कृषि भूमि में परथा जी की मृत्यु के बाद राजस्व रिकार्ड में अकेले पुरा एवं हिरा का नाम अंकित किया जबकि गणेश खुद परथा जी की जायज पुत्र होने से पुरा एवं हिरा के साथ गणेश का नाम एवं उनके निधन के बाद हम प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होना चाहिए था इस तरह परथा जी की 1/3 हिस्से की जमीन में परथा एवं गणेश की विरासत अनुसार प्रार्थीगण का हिस्सा बनता है जिसे विपक्षीगण को हमारी सहमति के बिना रहन बैह बक्षीस या अन्य तरीके से हस्तान्तरित करने का कोई अधिकार नहीं हैं।
6. यह कि वर्तमान में सम्पूर्ण आराजीयात में प्रार्थीगण के हिस्से की जमीन पर विपक्षीगण पुरा एवं हिरा का नाम दर्ज है परन्तु हम प्रार्थीगण को ही उक्त वर्णित आराजीयात में परथा जी की विरासत से हक अधिकार मिल जाने से परथा जी के अन्य वारिसों के समान हिस्सा बनता है परन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गलत हिस्सा दर्ज है तथा परथा जी की विरासत गलत खोलकर पूर्व में गणेश तथा वर्तमान में हम प्रार्थीगण का नाम दर्ज नहीं किया है इसमें हम प्रार्थीगण का पुरी आराजीयात में हिस्सेनुसार नाम दर्ज नहीं किया है तथा इसमें विपक्षी पुरा एवं हिरा का हिस्सा गलत दर्ज हैं।
7. यह कि पूरा एवं हिरा हम प्रार्थीगण 1 एवं 2 के पिता एवं प्रार्थीगण 3 के पिता के भाई है इस तरह राजस्व रेकार्ड में इनके समान प्रार्थीगण का नाम भी दर्ज होना चाहिए परन्तु पुरा एवं हिरा का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत दर्ज है जो

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.12.04 14:34:29 IST
Reason: SelfAttested

हमारे हिस्से के मुकाबले शुन्य है, इसलिए अंकन के आधार पर विपक्षीगण पुरा एवं हिरा को प्रार्थीगण का हिस्सा रहन, बैह, बक्षीस एवं अन्य तरीके से हस्तान्तरित करने पर विपक्षीगण आमादा है जबकि प्रार्थीगण का उक्त आराजीयात में हिस्सा होने से तथा विपक्षीगण पुरा एवं हिरा का गलत हिस्सा दर्ज होने से विपक्षीगण सम्पूर्ण हिस्सा अपने नाम दर्ज विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं हैं।

8. यह कि विपक्षी पुरा एवं हिरा का परथा जी की विरासत से गणेश जी को मिली जमीन पर कोई हक नहीं बनता है तथा इन्हे हमारे हिस्से को किसी भी तरीके रहन बैह बक्षीस करने का अधिकार नहीं मिलता है जमाबन्दी में लिखे गये गैर कानूनी इन्द्राज के आधार पर विपक्षीगण को कोई स्वामित्व प्राप्त नहीं होता हैं।
9. यह कि प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला है चूंकि प्रार्थीगण परथा जी के वैधानिक वारिस होने से वादग्रस्त जमीन में जन्म से ही प्रार्थीगण को स्वामित्व एवं आधिपत्य मिल चुका है इसलिए प्रार्थीगण उक्त वर्णित आराजीयात में अपना नाम पुरा एवं हिरा के समान दर्ज कराने के अधिकारी है यदि प्रार्थीगण का नाम उक्त वर्णित आराजीयात में खातेदार की हैसियत से दर्ज नहीं किया गया तो प्रार्थीगण को होने वाली क्षति का मूल्यांकन रूपये पैसों में नहीं किया जा सकता है।
10. हम प्रार्थीगण परथा जी के वारिस होने से परथा एवं गणेश की मृत्यु बाद प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजीयात में हक अधिकार मिल गया है इसलिए विपक्षीगण के विरूद्व हम प्रार्थीगण इस तरह की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी है कि उक्त वर्णित जमीन के हमारे हिस्से में विपक्षीगण कोई दखलन्दाजी नहीं करे हमें शांतिपूर्वक खेती करने देवे, हमें हमारे कब्जे से बेदखल नहीं करें।
11. अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी के पक्ष में व विपक्षीगण के विरूद्व निम्न आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करायी जावे कि वाद के निस्तारण होने तक प्रार्थना पत्र में अंकित आराजीयात में प्रार्थीगण के हिस्से व कब्जे की जमीन पर विपक्षीगण कोई दखलन्दाजी न करे तथा ना ही कोई नया रास्ता कायम करे। प्रार्थीगण को अपने हिस्से व कब्जे की जमीन का उपयोग उपभोग करने से नहीं रोके, न कोई अवरोध पैदा करे, न कोई नुकसान कारित करें। न कोई नया निर्माण करे मूल वाद के निस्तारण तक उक्त वर्णित आराजीयात विपक्षीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.12.04 14:34:29 IST
Reason: SelfAttested

रहन, बैह, बक्षीस या किसी भी तरीके से हस्तान्तरित नहीं करें मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। ताईद में शपथ पत्र पेश हैं।

12. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 3 से 5 राजपेरोकार द्वारा जवाब नहीं देना चाहा। विपक्षी सं. 1 से 2 द्वारा पर्याप्त अवसर दिया जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर बन्द किया गया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

13. हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा अपनी बहस में बताया कि उभय पक्षकारान के यथावत् स्थिति बनाये रखने पर आपस में सहमति व्यक्त की है एवं उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाने का निवेदन किया।

14. विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक हैः—

1. *प्रथम दृष्टया मामला—* उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान में विपक्षी सं. 1 व 2 के नाम पर दर्ज हैं। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि को पैतृक सम्पति होकर अपने दादा परथा के समय से चली आना बताया हैं। परथा की मृत्यु के बाद उक्त भूमि प्रार्थीगण के पिता/पति गणेश के नाम दर्ज नहीं कर परथा के अन्य पुत्र विपक्षी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज कर ली गई है जबकि उक्त भूमि में वादीगण का 1/3 हिस्सा होना बताया हैं। पैतृक सम्पति होने से प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला साबित होता हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण अपने पक्ष में साबित कराने में सफल रहे। अतः प्रथम दृष्टया मामला का बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

2. *अपूरणीय क्षति—* भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 1 व 2 की पैतृक सम्पति होना बताया हैं। प्रार्थीगण व विपक्षी सं. 1 व 2 द्वारा उभय पक्ष को पाबंद कराने हेतु सहमति व्यक्त की हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

3. *सुविधा का संतुलन—* प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाने से उक्त बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.12.04 14:34:29 IST
Reason: SelfAttested

15. हमने पत्रावली का अध्ययन किया। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी सं. 1 व 2 के विरूद्ध घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण व विपक्षी सं. 1 व 2 की पैतृक सम्पति होकर दोनों ही स्वतन्त्र रूप से अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करना बता रहा हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में विपक्षी सं. 1 व 2 के नाम पर दर्ज हैं। भूमि पूर्व में प्रार्थीगण के दादा परथा के नाम पर दर्ज थी। परथा की मृत्यु के बाद भूमि परथा के तीन पुत्र गणेश, पुरा व हीरा के नाम दर्ज होनी चाहिए थी। गणेश की मृत्यु हो जाने से उक्त भूमि परथा के पुत्र हीरा व पुरा के नाम पर ही दर्ज हो गई हैं जबकि गणेश के वारिस वादीगण के नाम 1/3 हिस्सेनुसार दर्ज होनी चाहिए थी। प्रकरण में उभय पक्षकारान द्वारा प्रार्थीगण व विपक्षीगण दोनों को ही अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने पर सहमति व्यक्त की हैं। चूंकि प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी सं. 1 व 2 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर खातेदार काश्तकार हैं एवं मौके पर प्रार्थीगण व विपक्षी सं. 1 व 2 अपने–अपने हिस्से पर काबिज हैं। ऐसी स्थिति में केवल एक दूसरे के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी से रोकने हेतु पाबंद किया जाना ही उचित हैं। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के आधार पर तय किये जायेगे। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किये गये हैं। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा गुडली पटवार हल्का गुडली के परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 2494, 2524, 2525, 2526, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2557, 2599, 2601, 2602 किता 21 रकबा 36 बीघा 4 बिस्वा, परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 2308, 2309, 2311, 2314 किता 4 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा, परिशिष्ट स में वर्णित आराजी नम्बर 2235, 2236, 2237, 2248, 2250, 2254, 2255, 2270, 2271, 2529, 2532, 2533, 2534,

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.12.04 14:34:29 IST
Reason: SelfAttested

2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541 किता 20 रकबा 17 बीघा 7 बिस्वा, परिशिष्ट द में वर्णित आराजी नम्बर 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 2229, 2231, 2232, 2233 किता 12 रकबा 11 बीघा 7 बिस्वा, परिशिष्ट य में वर्णित आराजी नम्बर 2234, 2238, 2239, 2243, 2244, 2245, 2246, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2267 किता 13 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा एवं परिशिष्ट र में वर्णित आराजी नम्बर 2256, 2257, 2258 किता 3 रकबा 10 बिस्वा भूमि में प्रार्थीगण व विपक्षी सं. 1 व 2 एक दूसरे के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करें, एक दूसरे को शांतिपूर्वक काश्त करने देवें। मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहें।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.12.04 14:34:29 IST
Reason: SelfAttested